आज ही/महत्वपूर्ण

संख्या–150(1)/सैंतीस–2–2019–5(53)/2018 टीसी–।

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 19, जनवरी, 2019

विषयः–बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों एवं प्रदेश के अन्य 68 जनपदों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन तथा उनमें संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु मण्डी परिषद से अवमुक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति के प्रख्यापन हेतु शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक–02.01.2019 निर्गत किया गया है।

2– इस क्रम में शासनादेश संख्या–150/सैंतीस–2–2019–5(53)/2018 टीसी–।, दिनांक–18.01.2019, जो कि प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन एवं निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा प्रतिलिपि अन्य के साथ–साथ आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। इस शासनादेश दिनांक–18.01.2019 द्वारा मण्डी परिषद की आय/सेस से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन एवं संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को प्रति जनपद रू0 1.50 करोड़ की दर से कुल रू0 10.50 करोड़ एवं प्रदेश के अन्य 68 जनपदों को प्रति जनपद रू0 1.00 करोड़ की दर से कुल रू0 68.00 करोड़ इस प्रकार कुल रू0 78.50 करोड़ की धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डी परिषद के अधिनियम, 1964 की धारा–26–PPP(2)(d) के अंतर्गत निर्देश जारी किये गये है।

3– शासनादेश संख्या–150/सैंतीस–2–2019–5(53)/2018 टी0 सी0–।, दिनांक–18.01.2019, के क्रियान्वयन विषयक निम्न स्पष्ट किया जाता हैः–

3.1 मण्डी परिषद के अधिनियम, 1964 की धारा–26–PPP(2)(d) के अंतर्गत प्रस्तर–2 में उल्लिखित उक्त धनराशि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु सीधे संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय। इस धनराशि को संबंधित जिलाधिकारी एक पृथक खाता खोल कर रखेंगे, जिसमें से वे निर्धारित मदों में व्यय करने के लिए सक्षम होंगे।

3.2 पूर्व में वृहद गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण स्थापना हेतु बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को आवंटित रू0 10 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य 68

जनपदों हेतु क्रमशः स्वीकृति धनराशि रू0 1.20 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि रू0 50 लाख सम्बन्धित जिलाधिकारियों को हस्तान्तरित किये गये हैं।

3.3 वर्तमान में भरण–पोषण हेतु प्रस्तावित धनराशि तत्काल सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के विद्यमान व संचालित खातों (जो प्रस्तर–3.2 विषयक है) में सीधे आवंटित/हस्तान्तरित की जाए।

3.4 तत्पश्चात इस धनराशि (जो भरण–पोषण/संचालन विषयक है) को, जिलाधिकारी पृथक खाता खोल कर (अर्थात नये खाते में) उसमें हस्तान्तरित करेंगे व इस नये खाते में से भरण–पोषण/गोवंश आश्रय स्थल संचालन हेतु इस धनराशि का उपयोग करेंगे। इस खाते का पृथक Cash Book/रोकड़ पंजिका भी रखेंगे व साथ ही स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से Concurrent आडिट/कांकरेन्ट सम्प्रेक्षण भी करेंगे।

4– कृपया उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देशों/स्पष्टीकरण के अनुक्रम में तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

19.1.19

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–150(2)/सैंतीस–2–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
(2) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
(4) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।